डॉ. सी.वी. रामन विश्वविद्यालय
करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 20(क)/अकादमिक/2008 कोटा, बिलासपुर, दिनांक 07/05/2008

::— अधिसूचना —::

समम्तुल्यता समिति की अनुशंसा एवं अकादमिक परिषद के अनुमोदनोंपरांत विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अंतर्गत संचालित स्नातक एवं स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में सीधे द्वितीय वर्ष (Lateral Entry) में, अध्यादेशों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप प्रवेश हेतु, समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों यथा गुरू धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, इन्द्रागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पं. सुंदरलाल शर्मा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर आदि के द्वारा जारी समतुल्य पत्रोपाधि तथा आईसेक्ट एवं DOEACC सोसायटी द्वारा जारी समतुल्य पत्रोपाधि को न्यूनतम योग्यता के रूप में स्वीकार किया गया है।

सहा. कुलसचिव (अकादमिक)

पृ.क्र. 20(ख)/अकादमिक/2008 कोटा, बिलासपुर, दिनांक 07/05/2008

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

01. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक को माननीय कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
02. सहा. कुलसचिव (वित्त/प्रशासन/गोपनीय/अकादमिक) एवं परीक्षा नियंत्रक डॉ सी.वी. रामन विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. समस्त संकायाध्यक्ष, समस्त संकाय को सूचनार्थ।
04. कार्यालय प्रति।

सहा. कुलसचिव (अकादमिक)